न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 122 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बेरा समदरा, गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 22/07/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा दादी, पटवार हल्का गुडा रामसिंह, तहसील सोजत में वर्तमान खसरा नम्बर 450 / 618 रकबा 0.4000 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि पर पूर्व खातेदार मॉगूसिंह पुत्र हीरसिंह जाति रावत का कब्जा काश्त था, जिनके मरणोपरान्त उनके वारिसान पूरणसिंह, पूनमसिंह, सुमेरसिंह, रूपसिंह पिसरान मॉगूसिंह, घीसीदेवी पत्नि मॉगूसिंह, कमला, शान्ति, रूकमा पुत्रीयों मॉगूसिंह का कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक रूप से वादरथ कृषि भूमि पर रहा है। मॉगूसिंह के मृत्यु बाद फौतेदगी म्यूटेशन भी घीसीदेवी पत्नि मॉगूसिंह, पूरणसिंह, पूनमसिंह, सुमेर सिंह, रूपसिंह पुत्रान मॉगूसिंह एंव कमला, शान्ति, रूकमा पुत्रीयाँ मॉगूसिंह के नाम से भरा गया तथा खातेदारी दर्ज हुई जहाँ बाद मॉगूसिंह के वारिसान के द्वारा दिनांक 06 / 05 / 2025 को उक्त कृषि भूमि का बेचान प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील कर दिया। जिसका ऑन लाईन म्यूटेशन संख्या 557 दिनांक 06 / 05 / 2025 को भरा गया। प्रार्थी वक्त बेचान से उक्त खसरा की कृषि भूमि पर बतौर मालिक एवं खातेदार के रूप में काबिज है। जिसे संलग्न नजरी नक्शा में मार्क "ए, बी, सी, ही" केसरिया रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थी आज भी उत्तर से पश्चिम की लम्बाई वाली वादस्थ भूमि पर ही काबिज हैं। परन्तु राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे सेग्रीकेशन प्रोग्राम में राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत को मार्क "ई एफ, जी, एच" से दर्शाया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम ग्राम दादी, पटवार हल्का गुडा रामसिंह, तहसील सोजत में वर्तमान खसरा नम्बर 450 / 618 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि के सम्बन्ध मे मौके पर प्रार्थी के कब्जा की वर्तमान स्थिति की सम्बंधित आर०आई / पटवारी हल्का से जाँच करवायी जाकर मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 450 / 618 की मार्क "ए, बी, सी, डी" के स्थान पर मार्क "ई एफ, जी, एच" की स्थिति को नक्शे मे अंकित किया जाकर तरमीम एवं रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा दादी में होना, पैरा सं0 02, 03 प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करना तथा पैरा सं0 04 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादरथ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान एस0डी0एम0 साहब के आदेश दिनांक 01.07.1985 के तहत नामा0 सं0 51 के तहत ख0नं0 450 रकबा 2.83 में से 0.40 है0 भूमि मांगूसिंह पुत्र हीरासिंह के नाम गैर खातेदार दर्ज की गई। तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 14.09.1998 की पालना में मागुसिंह पुत्र हीरासिंह को गैर खातेदारी से खातेदारी की गई, जिसका नामा0 सं0 188 भरा गया। इस आवंटित भूमि 0.40 है0 के नये ख0नं0 450 / 618 है, जिसके जरीये बेचान जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुत निवासी गुड़ा कलां ने क्रय किया हैं। इस खसरे की तरमीम नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से की गई है, इस तरमीम वाली जगह की भूमि 0.4000 है0 से काफी कम है, जो लाल स्याही से एबीसीडी नजरी नक्शे में दर्शित हैं। मौके पर ख0 सं0 450 / 618 के खातेदार का कब्जा काश्त 0.4000 है0 पर ही है, जिसकों आसमानी स्याही से अ,ब,स,द से नजरी नक्शे में दर्शाया गया हैं। नक्शे में तरमीम ख0नं0 450 / 618 का रकबा कम है व तरमीम व मौके पर वस्तुस्थिति में काफी भिन्नता हैं। प्रार्थी का नजरी नक्शे में दर्शित अ,ब,स,द जो आसमानी स्याही से दर्शित है पर कब्जा है व तीन तरफ मौके पर तारबंदी की हुई हैं। दक्षिण में लाल स्याही से दर्शित भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं। इस प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि करने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा दादी तह0 सोजत के खसरा नम्बर 450 / 618 की तरमीम मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 450 / 618 की मार्क "ए, बी, सी, डी" के स्थान पर मार्क "ई एफ, जी, एच" की स्थिति को नक्शे मे अंकित किया जाकर तरमीम एवं रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 450 / 618 की तरमीम नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से की गई है, इस तरमीम वाली जगह की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जितेन्द्रपालसिंह बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व विविध प्रा०पत्र :— 122 / 2025

भूमि 0.4000 है० से काफी कम है, जो लाल स्याही से एबीसीडी नजरी नक्शे में दर्शित हैं। मौके पर ख० सं० 450 / 618 के खातेदार का कब्जा काश्त 0.4000 है० पर ही है, जिसको आसमानी स्याही से अ,ब,स,द से नजरी नक्शे में दर्शाया गया हैं। नक्शे में तरमीम ख०नं० 450 / 618 का रकबा कम है तथा तरमीम व मौके पर वस्तुस्थिति में काफी भिन्नता हैं। प्रार्थी का नजरी नक्शे में दर्शित अ,ब,स,द जो आसमानी स्याही से दर्शित है पर कब्जा है व तीन तरफ मौके पर तारबंदी की हुई हैं। दक्षिण में लाल स्याही से दर्शित भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि करने की अनुशंषा की हैं। लिहाजा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा दादी, प०ह० गुड़ा रामसिंह तह० सोजत के खसरा नम्बर 450 / 618 की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित मौके पर काबिज स्थिति ''अ, ब, स, द'' के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 450 / 618 की मार्क ''ए, बी, सी, डी'' के स्थान पर मार्क ''अ, ब, स, द'' की स्थिति को नक्शे मे अंकित किया जाकर तरमीम एवं रेकर्ड दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)